न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा,

जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– सोहन लाल (आई.ए.एस.) प्रशिक्षु

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 62/2021

प्रार्थी

कमली पत्नी श्री पीराराम,
जाति भाट, निवासी ग्राम बिनावास
तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर,
हाल निवास बिजलीघर के सामने,
ग्राम गोटन, तहसील मेड़ता सिटी,
जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ककूदेवी पत्नी जेठाराम
   फौत (डिलीट)
2. गोरधनराम पुत्र जबराराम
3. बलदेव पुत्र जोधाराम
4. बाबूलाल पुत्र जेठाराम
5. मीरादेवी पत्नी जबराराम
6. राकेश पुत्र जबराराम
7. रीनाकुमारी पुत्री जबराराम
8. श्यामलाल पुत्र जेठाराम
9. सुशिलादेवी पुत्री जोधाराम
10. सोहनलाल पुत्र जेठाराम
11. हड़मानराम पुत्र जेठाराम
    जातियान भाट, निवासीगण
    बिनावास, तहसील बिलाड़ा
    जिला जोधपुर राज.
12. बलदेवराम पुत्र घीसाराम
    जाति जाट (भीचर) निवासी
    जाटो का बड़ा बास ग्राम
    बीनावास, तहसील बिलाड़ा,
    जिला जोधपुर राज.
13. राजस्थान सरकार जरिये
    तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

– – – – –

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता।

अप्रार्थी संख्या 1 फौत, प्रतिवादी संख्या 2 से 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 13 सरकारी पैरोकार।

:: आदेश :: **दिनांक :– 28.03.2022**

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिनावास तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 481/414 रकबा 2.5749 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आयी हुयी है, जिसके खाता संख्या 480 है। उपरोक्त खसरा की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की सयुक्त खातेदारीसुदा, सयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है, जिसमें प्रार्थी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

का 40/357 वॉ हिस्सा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/7 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/28 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 31/714 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का 31/357 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 का 1/28 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 6 का 1/28 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 7 का 1/28 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 8 का 1/7 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 9 का 31/714 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 10 का 7/77 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 11 का 13/112 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 12 का 4/77 + 3/112 वॉ हिस्सा है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 का प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हक व हिस्से यानि खाता संख्या 480 की चालु जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णितानुसार हिस्से की भूमि पर मौके पर सयुक्त रूप से काबिज है व सयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के मध्य आज दिन तक लिखित व विधिवत बंटवाड़ा नही हुआ है व न ही राजस्व नक्शे में मुताबिक प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हिस्से के अनुसार तरमीम हुई है तथा वादग्रस्त भूमि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हक व हिस्से के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के नाम से सयुक्त रूप से खातेदारी के रूप में दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित अपने हिस्से के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि पर सयुक्त रूप से काबिज व सयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के हक व हिस्से के संबंध में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 12 को विधिवत बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में मुताबिक विधिवत बंटवाड़ा के अनुसार तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 12 ने आज दिन तक न तो प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया व न ही प्रार्थी के निवेदन से सहमत हुए व न ही आज दिन तक वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिवत बंटवाड़ा किया। बिना बंटवाड़ा के प्रार्थी न तो अपने हिस्से की भूमि पर कोई सुधार कर सकता है और न ही उसे उपजाऊ बना सकता है, व न ही सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रार्थी को अपने हक व हिस्से की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने के लिए वाद बाबत् बंटवाड़ा का प्रस्तुत कर दिया है। दिनांक 02.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 से 12 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना बंटवाड़ा किये ही मौके पर अजनबी खरीददारों को उक्त वादग्रस्त भूमि बैचान करने हेतु मौका दिखाने हेतु आये। तब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 12 को कहा कि आप वादग्रस्त जमीन का मौका क्यो दिखा रहे हो तब उन्होने प्रार्थी को कहा कि अप्रार्थी संख्या 1 से 12 अपने हिस्से की जमीन को बैचान करेंगे। तब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 12 को कहा कि आप बिना बंटवाड़ा किये

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तथा बिना प्रार्थी की सहमति के आपके हिस्से की भूमि का बैचान अजनबी क्रेता को नही कर सकते हो। तो अप्रार्थी संख्या 1 से 12 ने प्रार्थी की बात को न मानकर प्रार्थी को एलानिया कहा कि "हम तो हमारे हिस्से की भूमि को पड़ौस दर्शाते हुए बिना बंटवाड़ा के व तुम्हारी सहमति के बिना अजनबी क्रेता को बैचान करके रहेंगे। यदि तुमने कानूनी कार्यवाही के जरिये रोकने की कोशिश की तो हम तुम्हे भी तुम्हारे हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर देंगे तथा तुम्हे तुम्हारे हिस्से से वंचित कर देंगे।" इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 से 12 को उनके द्वारा उपरोक्त अवैध कार्य करने से रोकने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। क्योकि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की सयुक्त खातेदारीसुदा है तथा जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 का जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णित प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के हिस्से अनुसार मौके पर सयुक्त रूप से काबिज है एवं सयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 से 12 बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये व बिना प्रार्थी की सहमति के वादग्रस्त कृषि भूमि में स्थित अपने हिस्से को अजनबी क्रेता को पड़ौस दर्शाते हुए बैचान, हस्तान्तरण कर देते है तो इससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मूल्यों में नही आंका जा सकता तथा प्रार्थी का वाद पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के मध्य अशांति पैदा हो जायेगी व मुदकमेंबाजी बढ जायेगी। जबकि कानूनन अप्रार्थी संख्या 1 से 12 को बिना बंटवाड़ा के व बिना प्रार्थी की सहमति के वादग्रस्त कृषि भूमि को पडौस दर्शाते हुए अजनबी क्रेता को बैचान करने का कोई अधिकार नही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है।

अन्त में निवेदन किया कि राजस्व मूलवाद के निर्णय तक के लिए प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 से 12 प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 वर्णित प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की सयुक्त खातेदारी की वादग्रस्त कृषि भूमि को बिना विधिवत् बंटवाड़ा कराये व बिना प्रार्थी की सहमति के पड़ौस दर्शाते हुए अन्य सख्श को बैचान, वसीयत, बख्शीश वगैराह से हस्तान्तरण नही करे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में स्थित प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 से 12 न तो स्वयं दखलन्दाजी करे तथा न ही अपने हाली एजेन्ट, नोकर, मजदूर, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, भूमाफिया, किराये के गुण्डों वगैराह से ही कोई दखलन्दाजी करावे तथा अप्रार्थी संख्या 13 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

किया जावे कि वो अप्रार्थी संख्या 1 से 12 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के पड़ौस दर्शाते हुए कराये जाने वाले हस्तान्तरण/अन्तरण संबंधी दस्तावेज का पंजीयन नही करे तथा न ही ऐसे हस्तान्तरण/अन्तरण संबंधी दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकर्ड में किसी भी प्रकार का रदोबदल करे तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 फौत होने पर उसके वारिसान पूर्व से प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार होने पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी. स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 के आगे फौत (डिलीट) दर्ज किया गया व प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र शीर्षक पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 12 को उपस्थिति हेतु प्रर्याप्त अवसर प्रदान किये गये लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 से 12 उपस्थित नही होने पर तारीख पेशी दिनांक 08.02.2022 को अप्रार्थी संख्या 2 से 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी व अप्रार्थी संख्या 13 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए और निवेदन किया कि वो प्रस्तुत प्रकरण में फोर्मल पक्षकार है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब देना नही चाहते है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :–

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :– प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मूल रूप से कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की सयुक्त खातेदारीसुदा है तथा जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 का जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णित प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के हिस्से अनुसार मौके पर सयुक्त रूप से काबिज है एवं सयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 से 12 बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये व बिना प्रार्थी की सहमति के वादग्रस्त कृषि भूमि में स्थित अपने हिस्से को अजनबी क्रेता को पड़ौस दर्शाते हुए बैचान, हस्तान्तरण कर देते है तो इससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मूल्यों में नही आंका जा सकता। जबकि कानूनन अप्रार्थी संख्या 1 से

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

12 को बिना बंटवाड़ा के व बिना प्रार्थी की सहमति के वादग्रस्त कृषि भूमि को पडौस दर्शाते हुए अजनबी क्रेता को बैचान करने का कोई अधिकार नही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है क्योकि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की सयुक्त खातेदारी, सयुक्त कब्जाकाश्त की भूमि है, जिसमें प्रार्थी का 40/357 वॉ हिस्सा निहित है। जो प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 से प्रमाणित होता है तथा अप्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि को बिना विभाजन किये बैचान करने का कानूनन कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त कृषि भूमि कें रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या 2 सें 13 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो राजस्व ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में स्थित भूमि खसरा सं. 481/414 रकबा 2.5749 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा सत्यमेव जयते

(सोहन लाल)
I.A.S.(प्रशिक्षु)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 28/3/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा सत्यमेव जयते

(सोहन लाल)
I.A.S.(प्रशिक्षु)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा